

नं. २०१७/२०१८ पत्रावली प्रश्न है। जिला न्यायाधीश के अधिकारों का अर्थ है कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने हेतु न्यायालय की ओर से कोई कार्रवाई करना नहीं है। परन्तु वे उपस्थित रहे हैं। जिला न्यायाधीश के अधिकारों का अर्थ है कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जिला न्यायाधीश के अधिकारों का अर्थ है कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जिला न्यायाधीश के अधिकारों का अर्थ है कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

अतः जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जिला न्यायाधीश के अधिकारों का अर्थ है कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जिला न्यायाधीश के अधिकारों का अर्थ है कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जिला न्यायाधीश के अधिकारों का अर्थ है कि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

जिला न्यायाधीश
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर